

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 02/2025

दिनांक 14/02/2025

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 13.02.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना भुडकुडा पुलिस टीम द्वारा 01 अदद नाजायज तंमचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 प्रदीप कुमार मिश्र थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त आमिर अली पुत्र समजान निवासी ग्राम पड़री थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर को एक अदद नाजायज तंमचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ बेसो नदी पुल के पास बहदग्राम तालगांव से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आमिर अली पुत्र समजान निवासीग्राम पड़री थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर
बरामदगी -

1. एक अदद नाजायज तंमचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 03/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 08/2023 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधिनियम 1970
3. मु0अ0स0 46/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0स0 29/2021धारा 174A भादवि थाना सादात जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0स0 48/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गै0 एक्ट थाना सादात जनपद गाजीपुर
6. मु0अ0स0 01/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर
7. मु0अ0स0 24/2019 धारा (1) उ0प्र0 गै0 एक्ट थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर
8. मु0अ0स0 18/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर

02. थाना भांवरकोल पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-08/2025 धारा 124(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2025 धारा 124(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामबचन राम पुत्र बन्झारु राम निवासी ग्राम रसुलपुर थाना भांवरकोल गाजीपुर को मनिया पेट्रोल टंकी के पास वहद ग्राम सजना थाना भावरकोल से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 08.25 धारा 124(1) बीएनएस थाना भावरकोल जनपद गाजीपुर

03. 'श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के मुकदमें के प्रत्येक अभियुक्तगण को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।'

दिनांक 13.02.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सादात जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 38/2019 धारा 498A,304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 01. बुधनी देवी पत्नी राजेश राजभर 02. अभिषेक राजभर पुत्र राजेश राजभर नि0गण ग्राम करमदेपुर पो0 मउधीया थाना सादात जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को धारा 498ए/34 में प्रत्येक को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 304बी/34 भादवि में प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व ¾ दहेज प्रति0 अधि0 में प्रत्येक को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

04. परिवार परामर्श पुलिस टीम गाजीपुर द्वारा पारिवारिक विवाद/ मतभेद को समाप्त कराते हुए 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया । गिले- शिकवे भूल फिर से एक दूजे के हुए 02 दम्पति ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13.02.2025 को पुलिस लाइन प्रांगण में महिला सहायता प्रकोष्ठ /परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर में पति-पत्नी के विवाद से सम्बन्धित कुल 12 प्रकरण को सुना गया जिसमें काफी समय से विवादित चल रहे 02 प्रकरण में दोनो पक्षो को बैठाकर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुलाकर विदाई करायी गयी । 05 पारिवारिक विवाद में कुशलता प्रकट होने के बाद पत्रावली बंद कर दी गई । 05 पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई । इन सभी प्रकरण के निस्तारण में काउंसलर कमरुद्दीन, सोनिया सिंह महिला प्रकोष्ठ प्रभारी शशि सिंह उप निरीक्षक शशिधर मिश्रा, महिला आरक्षी रोली सिंह, आरक्षी शिव शंकर यादव महिला होमगार्ड विमला आदि लोग प्रमुख थे ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर